न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 145/2015
दायर दिनांकः– 09/09/2015
निर्णय दिनांकः– 27/07/2021

उनवान

1. कालु पिता भेरा जाट निवासी–गुन्दली, तहसील–भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता गोकल जाट निवासी–दाँतोली, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री कृष्ण गोपाल झंवर वादी वकील
2. श्री कृष्ण चन्द्र तुलछिया प्रतिवादी वकील

–:निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अंर्तगत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह है कि मौजा गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली, तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे आराजियात नम्बर 509,511,520,521,522,523,535,536,538,539 व 510 कुल किता 11 कुल रकबा 3.75 हैक्टयर स्थित है। उपरोक्त आराजियात मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर में ही इसका राजस्व अदा करता हुं लेकिन राजस्व रेकार्ड में 1/2 हक से मुझ वादी के नाम व 1/2 हक से मेरे सगे काका रूपा पिता भीमा जी के नाम अंकित है। यह कि खातेदार रूपा पिता भीमा मेरे सगे काकाजी थे व रूपा जी व वादी का एक ही खानदान है

यह है कि वादग्रस्त आराजियात जेर बहस वादी व रूपा जी मेरे काकाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है लेकिन मेरे काका रूपा जी का दिनांक 01.05.2008 को देहान्त हो चुका है तथा स्व0 रूपा जी का सारा क्रियाकर्म मुझ वादी ने किया है तथा उनके जीवनकाल में उनकी सेवा चाकरी भी मुझ वादी ने ही की है तथा देहान्त के बाद से आज तक वादग्रस्त आराजियात जेर बहस पर मुझ वादी का तनाह कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग निरन्तर व शांतिपुर्वक चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या एक मांगीलाल स्व0 रूपा जी के रिश्ते में कुछ नहीं लगता है लेकिन फिर भी स्व0 रूपा जी का वह विरासत का अपने नाम इन्तकाल खुला वादग्रस्त आराजियात जेर बहस पर से मेरा कब्जा हटा नाजायज कब्जा करना चाहता है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी संख्या एक ने ऐसा करने हेतु मुझे दिनांक 07.05.2010 को धमकी भी दी है अतः यह ईस्तकरार कराया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजियात जेर बहस का वादी तनाह खातेदार काश्तकार है व वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड से स्व0 रूपा जी का नाम हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं0 एक का वादग्रस्त आराजियात जेर बहस पर कोई कब्जा–काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजियात जेर बहस वादी की मोरूसी है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या एक आये दिन वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने, वादी का कब्जा हटा नाजायज कब्जा करने व स्व0 रूपा जी का विरासत का इन्तकाल अपने नाम कराने हेतु आमादा है इसके लिये भी प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 07.05.2010 को वादी को धमकी दी है

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

अतः प्रतिवादी नं. एक को ऐसा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है अन्यथा मुझ वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपुर्ति रूपयो में या अन्य किसी प्रकार पुरी नहीं की जा सकेगी व मुकदमेबाजी बढेगी।

अतः वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसके हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध ईस्तकरार हक की आज्ञप्ति व निर्णय इस अमर का जारी फरमाया जावे कि वाद–पत्र की कॉलम नम्बर एक में वर्णित वादग्रस्त आराजियात कब्जे वादी में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे वादी के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले नाजायज कब्जा नहीं करे व वादी तनाह खातेदार काश्तकार है व वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड से स्व0 रूपा का नाम हटाया जावे तथा स्व0 रूपा जी का विरासत का इन्तकाल वादी के नाम करावे।

इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल प्रतिवादी संख्या एक की ओर से श्री कृष्ण चन्द्र तुलछिया ने अपना वकालतनामा व जवाब पेश किया। जिसमे बताया कि वादग्रस्त आराजियात वादी की नहीं है, बल्कि प्रतिवादी की है। तथा वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। इस पर प्रकरण मे बाद प्रतिवादी के जवाब निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयीः–

तनकी संख्या 1:–

आया वादी मृतक रूपा का वारीस होने से मृतक रूपा के बजाय वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 2:– —— जिम्मे वादी

दादरसी ?

वादी की ओर से सबूत दस्तावेज ग्रा. पं. गुन्दली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ग्रा. पं. गुन्दली द्वारा जारी शर्जरा/वारिस प्रमाण–पत्र, नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र व नकल जमाबंदी संवत् 2063–2066 आदि पेश किये। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही हुआ। साक्ष्यवादी में वादी ने स्वयं वादी कालू पिता भेरा, गवाह रामचन्द्र पिता उदयराम के शपथ–पत्र पेश किये जिसमें वादग्रस्त आराजियात वादी के काका स्व0 रूपा पिता भीमा की होना बताया गया तथा स्व0 रूपा पिता भीमा लाऔलाद फौत हो गया जिसका एकमात्र विधिक वारिस स्व0 रूपा के भाई भेरा का लड़का वादी कालु पिता भेरा जाट ही है। प्रतिवादी संख्या एक का स्व0 रूपा पिता भीमा से किसी प्रकार का दूर–दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी संख्या एक का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से एवं वकील उभयपक्ष द्वारा समझौता पत्र पेश करने पर अन्य साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वकील उभयपक्ष ने न्यायालय मे उपस्थित होकर एक समझौता पत्र दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया है कि मृतक स्व0 रूपा पिता भीमा जाट का एकमात्र वारिस वादी कालु पिता भेरा है चुँकि कालु मृतक स्व0 रूपा पिता भीमा जाट के भाई भेरा पिता भीमा का लड़का है। मृतक स्व0 रूपा पिता भीमा के ओर कोई वारिसान नहीं है। वाद–पत्र में वर्णित सम्पूर्ण स्व0 रूपा पिता भीमा की आराजियात पर एकमात्र कब्जा व अधिकार भी वादी कालु पिता भेरा जाट का ही है। इस कारण वादी को वाद–पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में स्व0 रूपा पिता भीमा के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिए। उक्त समझौता पत्र में प्रतिवादी संख्या एक ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या एक का कोई हक अधिकार नहीं है। वकील उभयपक्ष द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह बंद की गयी। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष नें अपनी बहस में बताया कि समझौता–पत्र के अनुसार वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे और वादग्रस्त आराजियात में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अतः तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता हैः–

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

तनकी संख्या 1:–

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित करायी जानी है। वादी की ओर से सबूत दस्तावेज में ग्राम पं. गुन्दली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, ग्राम पं. गुन्दली द्वारा जारी शर्जरा/वारिस प्रमाण–पत्र नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र व नकल जमाबंदी संवत् 2063–2066 आदि पेश किये गये। प्रस्तुत हाल खाते की जमाबंदी नकल संवत् 2063–2066 के मुताबिक हाल आ.नं. 509,511,520,521,522,523,535,536,538,539 व 510 कुल किता 11 कुल रकबा 3.75 हैक्ट. भूमि श्री कालु पिता भेरा 1/2 व श्री रूपा पिता भीमा 1/2 सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। ग्राम पं. गुन्दली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार स्व0 रूपा पिता भीमा लाऔलाद फौत हो गये थे। वादी कालु पिता भेरा स्व0 रूपा पिता भीमा का एकमात्र विधिक वारिस है। प्रतिवादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादी स्व0 रूपा पिता भीमा का विधिक वारिस हो। वादी व प्रतिवादी उभयपक्ष ने दिनांक 03.03.2020 को समझौता पत्र पेश किया जिसमें उभयपक्ष वकील एवं वादी व प्रतिवादी ने स्व0 रूपा पिता भीमा का विधिक वारिसान वादी कालु पिता भेरा का होना स्वीकार किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा–8 में पुरूष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियमों के अंतर्गत निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है। द्वितीयत संपति यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग–2 में विनिर्दिष्ट संबंधी है को न्यायागत होगी। स्व0 रूपा पिता भीमा लाऔलाद फौत हुआ जिससे उसकी सम्पति वर्ग–2 में विनिर्दिष्ट संबंधियों को न्यागत होगी। धारा–11 में अनुसूची के वर्ग–2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसीयत की सम्पति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। ग्राम पं. गुन्दली द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र एवं वादी के शपथ–पत्र अनुसार वादी स्व0 रूपा पिता भीमा के भाई भेरा पिता भीमा की इकलौती संतान होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा–11 के अनुसार स्व0 रूपा पिता भीमा की निर्वसीयत संपत्ति का विधिक वारिस धारा–11 की प्रविष्टि संख्या (iv) के अनुसार वादी कालु पिता भेरा होगा। अतः वादी इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करा पाया है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित कि जाती है।

तनकी संख्या 2:–

चूँकि वादी तनकी संख्या 1 पूर्णरूप से अपने जिम्मे की अपने पक्ष में साबित करा पाया है जिससे वादी के पक्ष में निर्णित हुई है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादी व गवाहों के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र, वकील वादी एवं प्रतिवादी के समझौता पत्र एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर वादी ने अपना वाद अपने पक्ष में साबित कराया है। अतः वादी का वाद अंर्तगत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुन्दली की सरहद में स्थित भूमि आराजियात नम्बर 509,511,520,521,522,523,535,536,538,539 व 510 कुल किता 11 कुल रकबा 3.75 हैक्टयर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित स्व0 रूपा पिता भीमा नाम को हटाया जाकर उसके स्थान पर कालु पिता भेरा जाट दर्ज किया जावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुखाराम पिपड़ेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रपत्र –5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी :– **सुखाराम पिण्डेल** (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 145/2015
दायर दिनांक:– 09/09/.2015
निर्णय दिनांक:– 27/07/2021

उनवान

2. कालु पिता भेरा जाट निवासी–गुन्दली, तहसील–भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

3. मांगीलाल पिता गोकल जाट निवासी–दाँतोली, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल झंवर की व प्रतिवादी की ओर से श्री कृष्ण चन्द्र तुलछिया की उपस्थिति में इस वाद मे आज दिनांक 27.07.2021 को सुखाराम पिण्डेल (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–ग्राम गुन्दली की सरहद में स्थित भूमि आराजियात नम्बर 509, 511, 520, 521, 522, 523, 535, 536, 538, 539 व 510 कुल किता 11 कुल रकबा 3.75 हैक्टयर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित स्व0 रूपा पिता भीमा नाम को हटाया जाकर उसके स्थान पर कालु पिता भेरा जाट दर्ज किया जावें। तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	–
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
6. कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामिल	–		–
जोड	–	जोड	–

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)